The Research Dialogue

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-2, Issue-3, October-2023
www.theresearchdialogue.com

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शिक्षक–शिक्षा का भविष्य पर प्रभाव

प्रो0 (डॉ) कृष्ण कुमार सिंह

विभागाध्यक्ष

शिक्षक शिक्षा विभाग

रामनगर पी0जी0 कॉलेज, रामनगर, बाराबंकी

सारांश–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली ऐसी योजना है। जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। यह नीति भारत की परम्पराओं और उसके सांस्कृतिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्य, जिसके अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था उसके नियमन और गर्वनस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुर्नगठन का प्रस्ताव रखती है। यह शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्तिओ में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर देती है। भारत की शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए शिक्षकों के भविष्य को सुधार करने के लिए विभिन्न पहल (जैसे प्रोफेशनल विकास डिजिटल शिक्षा तथा कॅरियर के विकास आदि) किये जायेंगे। एनईपी 2020 में शिक्षक शिक्षा के दो भागों में बांटा गया है।

पहला स्कूली शिक्षा तथा दूसरा उच्च शिक्षा। शिक्षक शिक्षा के लिए योजनाएं प्रशिक्षण कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इस शोध पत्र के माध्यम से स्कूली शिक्षा शिक्षको के लिए कार्यक्रम तथा योजनाओ के कियान्वयन प्रकिया पर चर्चा करता है।

कूट शब्दः– *सांस्कृतिक मूल्य, प्रोफेशनल, डिजिटल शिक्षा तथा कॅरियर आदि।*

प्रस्तावनाः–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्ष बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जारी किया। एनईपी 2020 में शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है। शिक्षा प्रणाली में यह परिवर्तन शिक्षक शिक्षा के द्वारा किया जाना संभव होगा। इस नीति में शिक्षको के प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए कई पहलू शामिल किये गए है। पहले से कम समय के अन्दर शिक्षक बनाने के लिए नयी और संरचित प्रक्रिया की गयी है। इसके साथ ही शिक्षको के पेशेवर स्टैण्र्ड्स को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है ताकि वे अपने कौशलो को सुधार सके और छात्रो को बेहतर रूप से प्रशिक्षित कर सके। इसके साथ ही शिक्षकों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कोर्स और प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे जिससे शिक्षक छात्रों मे शिक्षा के अतिरिक्त नैतिक मूल्यों मे भी मार्गदर्शन कर सकेगें। शिक्षकों के प्रशिक्षण में डिजिटल तकनीकी का प्रयोग कर प्रशिक्षण में सुधार किये जाएगे जिससे अध्यापक छात्रों कों आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर शिक्षण कार्य कर सके।

आवश्यकता व महत्व –

एनईपी 2020 भारतीय शिक्षा के नये सिद्धांतो विचारधारा की उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से छात्रों को राष्ट्र के लिए समर्पित और उच्चतर सेवाओं के लिए तैयार किया जा सकता है। एनआईपी 2020 का महत्व विभिन्न क्षेत्रों मे है।

1. राष्ट्रीय समरसताः–

यह नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एकीकृत और समरस बनाने का प्रयास करती है। जिससे देशवासियों के बीच भाषाई और संस्कृतिक अनुबंध को बढ़ावा मिलता है।

2. गुणवत्ता की गारन्टीः–

यह नीति शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा प्रकिया पाठ्यक्रम और अनुशासन में सुधार करती है।

शिक्षा परिदृश्यः–

यह नीति छात्रों को शिक्षा के साथ कौशल विकास पर बल देती है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

नवीन तकनीकियॉः–

इस नीति में शिक्षा को नवीनतम तकनीकियों से जोड़ने पर बल दिया गया है जैसे ऑनलाइन शिक्षा दूरस्थ शिक्षा और डिजिटल साधनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्यः–

1. स्कूली शिक्षकों के शिक्षक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन।
2. स्कूलों के शिक्षक के शिक्षा भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।

स्कूली स्तर पर अध्यापक शिक्षक

भारतीय संस्कृति में शिक्षकों को गुरू माना जाता है। जोकि समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। इस शिक्षा नीति में अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती पदस्थापन सेवा शर्ते और शिक्षको के अधिकारों तथा स्थिति में सुधार पर बल दिया गया है ताकि शिक्षण व्यवसाय में उच्च प्रतिभाशाली लोगों को शामिल करने हेतु प्रेरित किया जा सके।

भर्ती और पदस्थापन

विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभा शाली छात्रों का शिक्षण प्रशिक्षण में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ठ 4 वर्षीय एकीकृत बी. एड. कार्यक्रम में अध्ययन करने के लिए बड़ी संख्या में मेरिट के आधार पर देश भर में छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जायेगी। प्रशिक्षण प्राप्त उच्च योग्य शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रो में शिक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

- शिक्षक पात्रता परीक्षा को स्कूलों के सभी स्तरो बुनियादी प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक को शामिल करते हुए इसे विस्तृत किया जायेगा।
- शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया में सम्बन्धित विषयों में प्राप्त टीईटी अंको या एनटीए परीक्षा के अंको को शामिल किया जायेगा। साक्षात्कार तथा कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन स्कूल के शिक्षक भर्ती का अभिन्न अंग होगा।
- विभिन्न विषयों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए (कला, शारीरिक शिक्षा, व्यावसियक शिक्षा और भाषाओं) जैसेः– शिक्षकों को एक स्कूल या स्कूल,

कॉम्पलैक्स में भर्ती किया जा सकता है। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशो की सरकारों द्वारा बनायीं गयी ग्रुप ऑफ स्कूल प्रारूप के अनुसार स्कूलों के शिक्षकों की साझेदारी सुनिश्चित की जायेगी।

सेवा काल के दौरान कार्य संस्कृति तथा वातावरण

शिक्षकों के शिक्षण कौशल को अधिकतम स्तर प्राप्त करने के लिए स्कूल के वातावरण और संस्कृतियों में आमूल चल परिवर्तन करना प्राथमिक लक्ष्य होगा। इसके लिए सभी विद्यालयों में सुरक्षित बुनियादी ढांचा, जिससे स्वच्छ पेय, शौचालय, बिजली, कम्प्यूटर, इंटरनेट और खेल मनोरंजन के साधन आदि उपलब्ध करना महत्वपूर्ण होगा।

- शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। शिक्षक को शिक्षण कार्य प्रभावी बनाने के लिए अधिक उपयुक्त तथा प्रभावशाली शिक्षण विधि के पहलुओं को चयनित करने की स्वयतता होगी।
- छात्रों को स्कूलों में सीखने के सकारात्मक माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रधानाचार्य और शिक्षकों की अपेक्षित भूमिका में यह स्पष्ट रूप से शामिल होगा कि वे अपने स्कूलों में प्रभावशाली अधिगम और सभी के लिए प्रभावी शिक्षा और समावेशी संस्कृति का निर्माण करें।

सतत व्यवसायिक विकास

शिक्षकों को आत्म सुधार और अपने पेशे में आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने का निरन्तर अवसर प्रदान किये जायेंगे। इसके लिए स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं के साथ – साथ ऑन लाइन मॉड्यूल के विभिन्न तरीके पेश किया जायेगा। प्रबन्धन तथा नेतृत्व शैली कौशल को लगातार विकसित करने के लिए प्रधानाचार्य तथा स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रमुखों को एक समान मॉड्यूल लीडरशिप/प्रबन्धन कार्यशालाओं तथा ऑनलाइन के माध्यम से विकसित करने के अवसर दिया जायेगा। ताकि अपनी सर्वोत्तम परम्पराओं को एक दूसरे से साझा कर सके।

करियर मैनेजमेंट और प्रगति :– उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों की पहचान कर उन्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि की जानी चाहिए। जिससे कि सभी शिक्षकों को अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य

करने के लिए प्रोत्साहन मिले। अतः शिक्षकों के लिए एक मेरिट आधारित कार्यकाल पदोन्नति और वेतन संरचना का निर्माण जायेगा। शिक्षकों के उचित प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्र / राज्य शासित सरकारें बहुस्तरीय पैरामीटर्स की एक व्यवस्था को स्थापित करेगा जो सह– कर्मियों द्वारा की गई समीक्षा, उपस्थिति, प्रतिबद्धता, सीपीडी के घण्टे तथा स्कूल और समुदाय के लिए सेवा के अन्य रूपों के आधार पर कई मापदण्डो की एक प्रणाली विकसित की जाएगी। शिक्षकों की योग्यता के आधार पर ऊर्ध्वाधर गतिशीलता सर्वोपरि होगी। उच्च कोटि के नेतृत्व तथा प्रबन्धन करने वाले शिक्षकों को समय–समय पर स्कूल, स्कूल काम्प्लेक्स, वीआरसी. , सीआरसी., वीआईटीई., डीआईईटी के साथ सम्बन्धित सरकारों विभागों और मंत्रालय में एकेडमिक नेतृत्व करने वाले पदों पर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।

विशिष्ट शिक्षक :–

मिडिल और माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग / विकलांग (लर्निंग डिसेबिलिटी) वाले बच्चो के लिए अध्यापक को विषय सम्बन्धित ज्ञान के अतिरिक्त विशेष आवश्यकताओ को समझने के लिए उपयुक्त कौशल होना चाहिए। इसके लिए अध्यापक को सेवाकालीन और पूर्वकालिक या अंशकालिक / मिश्रित कोर्स बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराये जायेगा।

शिक्षक–शिक्षा का दृष्टिकोण :–

2030 तक शिक्षक–शिक्षा को विश्वविद्यालयों तथा बहु विषयक कॉलेजो में शामिल किया जायेगा। 4 वर्षीय एकीकृत बी. एड. डिग्री स्कूल स्तर पर शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता होगी। पहले से अन्य विषयों में स्नातक की डिग्री प्राप्त या परास्नातक डिग्री प्राप्त व्यक्तियों को जो अपने विशिष्ट विषय में अध्यापक बनना चाहता है उन्हें 4 वर्षीय एकीकृत बी. एड. की डिग्री प्रदान करने वाले बहु–विषयक संस्थानों में 2 वर्षीय और 1 वर्षीय के कार्यक्रम में शामिल कर प्रशिक्षण की डिग्री प्रदानं की जायेगी।

समस्त बी.एड. कार्यक्रम में शिक्षणशास्त्र की परम्परागत तकनीकों के साथ – साथ नवीनतम तकनीकी का प्रशिक्षण शामिल होगा। जिसमे मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के संबंध में बहुस्तरीय शिक्षण और मूल्यांकन विशेष आवश्यकतों वाले बच्चों तथा रुचियों वाले बच्चो को पढ़ाना, शैक्षिक तकनीकी का उपयोग शामिल हो।

शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में अल्पावधि स्थानीय प्रशिक्षण वीआईटीई., डीआईईटी या स्कूल परिसरों में उपलब्ध होंगे। ताकि स्थानीय ज्ञान और कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिष्ठित स्थानीय व्यक्तियों को विशेष प्रशिक्षक के रूप में स्कूल परिसर में पढाये के लिए नियुक्त किया जायेगा।

अध्यापक शिक्षा के लिए एन.सी.टी.ई. द्वारा एन.सी.आर.टी. परामर्श से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतो के आधार एक नवीन तथा व्यापक एन.सी.आर.टी. 2021 तैयार की जायेगी।

निष्कर्ष :–

एन.ई.पी. 2020 योजना वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप परिलक्षित हो रही है। इस नीति को सही ढंग से लागू करना चुनौतीपूर्ण है। शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय होने के कारण राज्य एवं केन्द्र सरकार के समन्वय पर सहयोग के परिणाम स्वरुप इसकी उपलब्धियां प्रदर्शित हो सकेगी। इस नीति के सफल क्रियान्वयन होने से भारत की शिक्षा प्रणाली में स्कूली शिक्षा का भविष्य बेहतर होगा। भारत पुनः विश्व गुरु बनकर मानवता के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सकेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- डॉ0 सुधांशु कुमार पाण्डेय, (2021) ''शिक्षा नीति : 2020 (कुछ संस्तुतियां एवं विमर्श)'', महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदोई, उ0प्र0।
- डॉ0 सीताराम जायसवाल, (2022) ''भारतीय शिक्षा पद्धति का विकास एवं चुनौतियॉ–1'' प्रकाशन केन्द्र, लखनऊ।
- http://hindi.nvshq.org

THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed /Refereed National Research Journal

ISSN: 2583-438X

Volume-2, Issue-3, October-2023

www.theresearchdialogue.com

Certificate Number October-2023/16

Impact Factor (IIJIF-1.561)

https://doi-ds.org/doilink/01.2023-11922556

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

प्रो0 (डॉ) कृष्ण कुमार सिंह

for publication of research paper title

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शिक्षक–शिक्षा का भविष्य पर प्रभाव"

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-02, Issue-03, Month October, Year-2023.

Dr. Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.theresearchdialogue.com

INDEXED BY